

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

245 (49)

अधिसूचना

संख्या

1453

पटना, दिनांक:-

27/4/06

बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी(एनेबलिंग) अधिनियम, 2006 की धारा-3(अध्याय-11) के अधिन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार इसके प्रयोजनार्थ आधारभूत संरचनाओं के तीव्र विकास एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा प्रारूपण, वित्त पोषण निर्माण, परिसंचालन एवं प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से अधारभूत संरचना विकास प्राधिकार का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाता है।

2. प्राधिकार के अन्य सदस्य निम्न होंगे :-

(क)	विकास आयुक्त	-	उपाध्यक्ष
(ख)	औद्योगिक विकास आयुक्त	-	सदस्य
(ग)	सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य
(घ)	सचिव, ऊर्जा विभाग	-	सदस्य
(ङ.)	सचिव, पथ निर्माण विभाग	-	सदस्य
(च)	सचिव, नगर विकास विभाग	-	सदस्य
(छ)	उद्योग प्रक्षेत्र के दो प्रतिनिधि	-	सदस्य
(ज)	सरकार द्वारा मनोनीत तीन विशेषज्ञ	-	सदस्य
(झ)	प्रबंध निदेशक		
(ञ)	निदेशक, वित्त		
(ट)	निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन		
(ठ)	निदेशक, प्रशासन		

3. नियुक्ति :- प्राधिकार कार्य की आवश्यकता के अनुरूप पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जो अधिनियम में वर्णित कृत्यों के लिए आवश्यक हो।

4. आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार का कार्य-कलाप एवं शावित्याँ अधिनियम के धारा-10 एवं 11 के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

5. सरकार को प्रतिवेदन :— अधारभूत संरचना विकास प्राधिकार सरकार को आपा कार्य-कलाप एवं परिचालन के संबंध में त्रैमासिक प्रतिवेदन समर्पित करेगा।
6. अधिसूचना, निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

एक. बिहार राज्यपाल

(एस० विजयराधवन) २७/८/६००८
औद्योगिक विकास आयुक्त,

ज्ञापांक — १५३

पटना, दिनांक — २७/६/०६

प्रतिलिपि — अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में इसे प्रकाशित करने पर। कृपा की जाय तथा राजपत्र की मुद्रित 500 प्रतियाँ विभाग को भेजी जाय।

ज्ञापांक — १५३

पटना, दिनांक — २७/६/०६

प्रतिलिपि — महालेखाकार, बिहार, बीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ज्ञापांक — १५३

पटना, दिनांक — २७/६/०६

प्रतिलिपि — कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ज्ञापांक — १५३

पटना, दिनांक — २७/६/०६

प्रतिलिपि — मुख्य सचिव/सचिव, सरकार के सभी विभाग/राज्य भर्ती उद्योग के आप्त सचिव/सभी ब्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/स्वयंप्रबंध विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एक. बिहार राज्यपाल
औद्योगिक विकास आयुक्त